<u>प्रेस नोट दिनाँक-24.07.2021</u>

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आबकारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार यादव तथा उ0नि0 श्री राजेश चौरसिया थाना राजापुर की संयुक्त टीम द्वारा पन्चा का पुरवा से अभियुक्त (1) महादेव केवट पुत्र झल्लू उर्फ झुलुरूआ निवासी पन्चा का पुरवा थाना राजापुर को 10 लीटर कच्ची शराब कच्ची महुआ निर्मित, शराब बनाने के उपकरण एवं 90 किलो लहन के साथ गिरफ्तार किया गया तथा (2) अभियुक्ता जमौत्री पत्नी कल्लू केवट (3) अभियुक्ता सन्तोषी देवी पत्नी उदयभान निवासीगण पन्चा का पुरवा थाना राजापुर जनपद चित्रकूट के कब्जे से 10-10 लीटर कच्ची शराब शराब बनाने के उपकरण एवं 110 किलो लहन बरामद किया गया । बरामदशुदा लहन को मौके पर नष्ट किया गया। अभियुक्तों के विरूद्ध थाना राजापुर में धारा 60(2) आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किये गये ।

<u>बरामदगीः-</u>

1. 30 लीटर कच्ची शराब महुआ निर्मित
2. 02 अदद भट्टी (शराब बनाने के उपकरण)

<u>बरामदगी करने वाली टीमः-</u>

1. आबकारी निरीक्षक श्री राजेश कुमार यादव
2. उ0नि0 श्री राजेश चौरसिया थाना राजापुर
3. आरक्षी ब्रजेन्द्र राय थाना राजापुर
4. आबकारी मुख्य आरक्षी उमेश कुमार यादव
5. आबकारी आरक्षी सरताज खां
6. आबकारी आरक्षी हरिकान्त मिश्रा
7. आबकारी महिला आरक्षी कविता सिंह

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में पारिवारिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय में स्थापित परिवार परामर्श केन्द्र द्वारा एक बार फिर पति-पत्नी के आपसी झगड़े को समाप्त कराकर आपस में सुलह कराते हुये परिवार को टूटने से बचाया ।

उल्लेखनीय है कि श्रीमती रतिया पत्नी किशोरी लाल निवासी रामपुर कल्याणगण थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय को प्रार्थना पत्र दिया गया कि उसके पति किशोरीलाल आए दिन उसके साथ मारपीट करते है, लड़ाई झगड़ाकर घर से निकाल दिए घर में रहने नही दे रहे है ।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र उ0नि0 श्री बैजनाथ यादव, मुख्य आरक्षी अरूण कुमार, महिला आरक्षी मंजूलता पाल द्वारा दोनों पक्षों को कार्यालय बुलाया गया। दोनों पक्षों की समस्याओं को सुनकर, समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में विवाद न करने एवं आपस में मिलजुल कर रहने हेतु कहा। इस तरह दोनों पक्षों द्वारा आज दिनाँक 24.07.2021 को आपस में सुलह की गयी । सुलह होने पर दोनों पक्षों को आपस में सामन्जस्य बिठाकर सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री भागीरथी पाण्डेय चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग थाना कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा वहद ग्राम संग्रामपुर से अभियुक्त पप्पू पटेल पुत्र नत्थू पटेल निवासी संग्रामपुर थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को 01 अदद अवैध तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त पप्पू पटेल के कब्जे से चोरी की 03 अदद भैंस बरामद की गयी। चोरी की भैंस एवं अवैध तमंचा व कारतूस बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त पप्पू पटेल के विरूद्ध कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 272/2021 धारा 41/411 भादवि0 व मु0अ0सं0 273/2021 धारा 03/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

<u>बरामदगीः-</u>

1. 01 अदद तमंचा व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

2. चोरी की 03 अदद भैंस

<u>बरामदगी/गिरफ्तारी करने वाली टीमः-</u>

1. उ0नि0 श्री भागीरथी पाण्डेय चौकी प्रभारी परिक्रमा मार्ग
2. आरक्षी श्यामू
3. आरक्षी शिवलाल

(4). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में निरीक्षक पंकज कुमार पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा 25000/-रुपये का इनामी सम्बन्धित मु0अ0सं0 67/2000 धारा 306 भादवि के अभियुक्त अभि0 गुलाब चंद्र साहू पुत्र भैरो प्रसाद निवासी उतारखाना, पुरानी बाज़ार थाना कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि निरीक्षक पंकज कुमार पांडेय जनपद चित्रकूट सम्प्रति सम्बद्ध प्रयागराज एयरपोर्ट सुरक्षा में सम्बन्ध है जो पुलिस अधीक्षक महोदय की अनुमति उपरान्त तलाश वांछित/पुरस्कार घोषित अपराधी में प्रस्थान करके बस स्टैंड कर्वी चित्रकूट आये एवं निरीक्षक अपराध श्री दीपेंद्र कुमार सिंह व हमराहियों उ0 नि0 आनंद कुमार मिश्र व का0 पीयूष शरन श्रीवास्तव बस स्टैण्ड के पास मिले, उसी समय मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुयी कि पुरस्कार घोषित अपराधी गुलाब चंद्र साहू पुत्र भैरो प्रसाद निवासी उतरखाना पुरानी बाज़ार कर्वी, बेड़ी पुलिया स्थित यात्री प्रतीक्षालय के पास खड़ा है तथा किसी साधन के इंतजार में है, यदि शीघ्रता करें, तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर निरीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डेय द्वारा विश्वास कर निरीक्षक श्री दीपेंद्र कुमार सिंह तथा उनकी टीम के साथ मुखबिर के साथ बेड़ी पुलिया की ओर प्रस्थान किया गया। बेड़ी पुलिया के थोड़ा पहले मुखबिर खास ने इशारा करके बताया कि जो व्यक्ति, सफेद और सलेटी रंग की चौड़े पट्टी की बड़े चेक शर्ट पहना हुआ है,यात्री प्रतीक्षालय के पास खड़ा है वहीं पुरस्कार घोषित अपराधी है। जैसे ही पुलिस टीम यात्री प्रतीक्षालय के पास खड़े व्यक्ति के पास गाड़ी से उतरकर पहुंचे कि व घबराकर तेज़ी से भागने लगा हिकमत अमली से अभियुक्त को पकड़ा गया। नाम,पता पूछने पर उसने अपना नाम गुलाब चन्द्र साहू पुत्र भैरो प्रसाद निवासी उतरखना पुरानी बाज़ार कर्वी जनपद चित्रकूट व उम्र करीब 58 वर्ष बताया। पकड़ा गया व्यक्ति थाना कोतवाली कर्वी के मु0अ0सं0 67/2000 धारा 306 आईपीसी में नामजद अभियुक्त है तथा इसके विरुद्ध मफरुरी में दिनांक 6/6/2000 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है। जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक जनपद चित्रकूट के द्वारा 25000/- रुपए का पुरस्कार घोषित किया गया है। पूछतांछ पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि वह अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद में भाग गया था। कभी चित्रकूट में, कभी दिल्ली, कभी हरियाणा, नोएडा, गाज़ियाबाद,बांदा,अतर्रा, बदोसा में लुक छीप कर भेष बदलकर रह रहा था।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. निरीक्षक श्री पंकज कुमार पाण्डेय सम्बद्ध प्रयागराज एयरपोर्ट सुरक्षा
2. निरीक्षक अपराध श्री दीपेन्द्र कुमार सिंह
3. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा

4. का0 पीयूष शरन श्रीवास्तव

(5). आज दिनांक 24.07.2021 को जनपद चित्रकूट के समस्त थानों में थाना समाधान दिवस के अन्तर्गत लोगों की समस्याओं को सुना गया व उनकी समस्याओं के निराकरण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। थाना रैपुरा में एडीएम महोदय श्री गणेश प्रसाद, अपर पुलिस अधीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार राय उपस्थित रहे तथा फरियादियों की समस्याओं को सुनकर उनकी समस्याओं का निवारण किया गया। थाना मऊ में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय श्री शैलेन्द्र कुमार राय व एसडीएम मऊ श्री नवदीप शुक्ला, तहसीलदार श्री शशिकान्त मणि उपस्थित रहकर फरियादियों की समस्याओं को सुना गया। इसी प्रकार प्रत्येक थानों में प्रभारी निरीक्षक द्वारा सम्बन्धित एसडीएम महोदय व क्षेत्राधिकारी नगर की उपस्थिति में थानों में थाना समाधान दिवस का आयोजन किया गया, अधिकारीगणों द्वारा फरियादियों की समस्याओं को गम्भीरता से सुना गया व निवारण करने हेतु कार्यवाही की गयी।

(6). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 23.07.2021 को एंटी रोमियो टीम थाना मानिकपुर द्वारा बाजार, बस स्टैण्ड व कस्बा मानिकपुर में, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम अमचुर नेरहुआ में, एण्टी रोमियो टीम थाना राजापुर द्वारा तुलसी मन्दिर व कस्बा में, एंटी रोमियो टीम थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट द्वारा कस्बा रैपुरा में, एंटी रोमियो टीम थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा सब्जी मंडी राम जानकी मंदिर कस्बा मऊ शिवपुर तिराहा में, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप के द्वारा ग्राम भरथौल वा भारतपुर में, एण्टी रोमियो टीम महिला थाना द्वारा चुंगी चौराहा भैरों पागा गंगा जी रोड में भ्रमण कर महिलाओं/ बालिकाओं को मास्क लगाने हेतु जागरूक किया । सभी से अपील की कोई भी अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर न निकलें/घूमें कोरोना वायरस से अपने व अपने परिवार को बचाये। महिला आरक्षियों द्वारा महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया ।

(7). आज दिनांक 24.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा दिनांक 09.07.2021 को भरतपुरी वार्ड नम्बर 15 वादी कृष्ण कुमार तिवारी पुत्र रघुनाथ प्रसाद निवासी भरतपुरी के घर हुयी चोरी की घटना का खुलासा करते हुये चोरी का माल व चोरी करने वाले अभियुक्त राजेश जमादार पुत्र पुन्ना निवासी चिल्ली थाना कोतवाली देहात बांदा को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.07.2021 को श्री कृष्ण कुमार तिवारी एडवोकेट पुत्र रघुनाथ प्रसाद निवासी भरतपुरी के घर चोरी हुयी थी जिस सम्बन्ध में थाना कोतवाली कर्वी में दिनांक 10.07.2021 को सूचना दी गयी जिस पर कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 253/21 धारा 454/380/411 भादवि पंजीकृत किया गया था। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरी के माल बरामदगी व अभियुक्त को गिरफ्तार करने हेतु प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी निर्देश दिये गये थे। प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी तथा उनकी टीम द्वारा अथक प्रयास करते हुये आज दिनांक 24.07.2021 चोरी का माल 1. 3,85,000/-रुपये 2. एक अदद सोने का हार 3. सोने का कान के झुमके एक जोड़ी 4. सोने की चार चूड़ियां 5. सोने की 10 अदद अंगूठी 6. 04 जोड़ी कान के बाले सोने के 7. चांदी की एक जोड़ी छांगल, 8. पांच जोड़ी चादीं की पायल 9. चार अदद चांदी के लच्छे 10. सात अदद दुकान की पर्ची 11. एक अदद बैग बरामद कर अभियुक्त राजेश जमादार पुत्र पुन्ना निवासी चिल्ली थाना कोतवाली देहात बांदा को गिरफ्तार किया गया।

<u>बरामदगी-</u>

1. 3,85,000/-रुपये
2. एक अदद सोने का हार

3. सोने का कान के झुमके एक जोड़ी
4. सोने की चार चूड़ियां
5. सोने की 10 अदद अंगूंठी
6. 04 जोड़ी कान के बाले सोने के
7. चांदी की एक जोड़ी छांगल,
8. पांच जोड़ी चादीं की पायल
9. चार अदद चांदी के लच्छे
10. सात अदद दुकान की पर्ची
11. एक अदद बैग

गिरफ्तार करने वाली टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक श्री वीरेन्द्र त्रिपाठी कोतवाली कर्वी
2. उ0नि0 श्री शिवकुमार यादव
3. उ0नि0 श्री आनन्द मिश्रा
4. आरक्षी प्रवीण राय
5. आरक्षी विपिन प्रताप सिंह